वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.07.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 03.07.2026

वीडीए ने नौ दिनों में 32 जगहों पर ध्वस्त कराई 153 बीघे अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए ने नौ दिन में 32 जगहों पर 153 बीघे अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। विकास कर्ताओं को चेताया कि बगैर वीडीए से स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग न बेचे। न केवल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के मार्गदर्शन में तीन बड़ी कार्रवाई की गई। 9 स्थानों पर 62 बीघा, 17 स्थानों पर 73 बीघा और 6 स्थान पर 18 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। साथ ही मातहतों को निर्देश दिया कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निरंतर अभियान चलाएं। जमीन खरीदने से पहले संबंधित भूखंड का लैंडयूज जांच लें।

प्लॉटिंग के लिए न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग जरूरी है। किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग और विक्रय कार्रवाई ले-आउट मिलने के बाद ही की जाए। प्राधिकरण में ले-आउट आवेदन जमा होने के बाद नियमानुसार 7 दिन में स्वीकृति का प्रावधान है। ब्यूरो

कोचिंग संचालक अपने अभिलेख अपडेट रखें

वाराणसी। वीडीए की ओर से सभी कोचिंग संचालकों को अपने अभिलेख अपडेट रखने को कहा गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कोचिंग संचालकों को मानचित्र दाखिल करने का मौका दिया है। साथ ही मातहतों को निर्देश दिया है अपने-अपने इलाकों के कोचिंग संस्थानों की जांच जारी रखें। कमी मिले तत्काल सील करें। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां, 2025 के प्रावधानों के तहत जांच करें। अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की स्थिति भी देखें। फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरणों, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास की कार्यशीलता का भी मूल्यांकन करें। ब्यूरो